

E-Mail

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

प्रधान सचिव
पंचायती राज विभाग
गोपनीय नोडाल
208

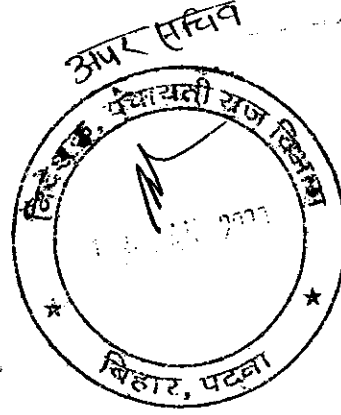
पत्रांक-पि0व0/विविध-25-36/2019-2945 पटना, दिनांक 38/12/2019

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
सभी अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी,
सभी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।



विषय:-पंचायत राज व्यवस्था प्रबंधन के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन, प्रबंधन एवं अनुश्रवण में जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों को शक्तियों के प्रतिनिधायन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत में संविधान के 73वें संशोधन के उपरांत पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु पंचायत राज अधिनियम (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं प्रासंगिक नियमावलियाँ प्रवृत्त की गई हैं। तदनुसार अन्य विभागों तथा पूर्ववर्ती कल्याण और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा भी समय-समय पर विभिन्न विभागीय विषयों एवं कार्यक्रमों में पंचायत राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय (जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों) को सहभागी बनाते हुए शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं।

2. दिनांक-09.04.19 तथा 14.05.19 को मुख्य सचिव, बिहार के स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न प्रकार की शक्तियों के प्रतिनिधायन के संबंध में आयोजित बैठकों के उपरांत निर्णय है कि सभी विभाग संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को दृष्टिगत में रखते हुए विभागीय नीतियों तथा कार्यक्रमों के संबंध में स्पष्ट, अद्यतन और सुविचारित आदेश विहित प्रपत्र में जारी करें।

3. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के निम्नांकित प्रावधानों के माध्यम से सारतः पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित एवं क्रियान्वित होने वाले कार्यों को आच्छादित किया गया है:-

(69)

श्री अखिलेश जी
14/11/20

55
15/11/2020

I. ग्राम पंचायत के कार्य:-

(क) धारा-22 (xiii):-शिक्षा, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा सहित:-

1. लोगों में जागृति उत्पन्न करना और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सहभागिता,
2. प्राथमिक विद्यालयों में पूर्ण नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं उनका प्रबंधन।

(ख) धारा-22 (xxii):-कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का कल्याण:-

3. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के संबंध में जन जागृति बढ़ाना,
4. कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहभागिता,

(ग) धारा-25:-(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन हेतु निर्वाचित सदस्यों में से चुनाव द्वारा निम्नलिखित समितियों का गठन करेगी-

(i) योजना, समन्वय एवं वित्त समिति- धारा 22 में वर्णित विषयों सहित ग्राम पंचायत से संबंधित सामान्य कृत्यों के करने के लिए, अन्य समितियों के कार्यों का समन्वय तथा अन्य समितियों के प्रभार में नहीं रहने वाले शेष कार्यों के सम्पादन के लिए,

(ii) उत्पादन समिति- कृषि, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वानकी संबंधी प्रक्षेत्र, खादी ग्राम या कुटीर उद्योग एवं गरीबी उपशमन संबंधी कार्यों को करने के लिए,

(iii) सामाजिक न्याय समिति- जो निम्न कार्य सम्पन्न करेगी-

(क) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य हितों की उन्नति से संबंधित कार्य, एवं

(ख) ऐसी जातियों और वर्गों को सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचाने संबंधी कार्य,

(ग) महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण,

(iv) शिक्षा समिति-प्राथमिक, माध्यमिक एवं जन शिक्षा, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित कार्यों को करने के लिए,

(v) लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति- लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्यों को करने के लिए,

(vi) लोक निर्माण समिति- ग्रामीण आवास, जलापूर्ति स्रोतों, सड़क एवं आवागमन के अन्य माध्यमों, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं संबंधित कार्यों सहित सभी प्रकार के निर्माण एवं अनुरक्षण संबंधी कार्यों को करने के लिए।

II. पंचायत समिति के कार्य:-

- (क) धारा 47(14):- शिक्षा, जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भी शामिल हैं-
- (i) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की अभिवृद्धि;
 - (ii) प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण, मरम्मत एवं अनुरक्षण।
- (ख) धारा 47(22):- कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-
- (i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण की अभिवृद्धि;
 - (ii) ऐसी जातियों एवं वर्गों को सामाजिक अन्याय एवं शोषण से बचाना;
- (ग) धारा 50:- स्थायी समितियाँ:- (1) पंचायत समिति अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने सदस्यों में से निर्वाचन द्वारा निम्नलिखित समितियाँ गठित करेगी:-
- (i) सामान्य स्थायी समिति;
 - (ii) वित्त, अंकेक्षण तथा योजना समिति;
 - (iii) उत्पादन समिति;
 - (iv) सामाजिक न्याय समिति;
 - (v) शिक्षा समिति;
 - (vi) लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति;
 - (vii) लोक निर्माण समिति।
- (घ) धारा 51(4):-सामाजिक न्याय समिति निम्नलिखित से संबंधित कृत्यों का निष्पादन करेगी :-
- (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य हितों का प्रोत्साहन;
 - (ख) ऐसी जातियों एवं वर्गों को सामाजिक अन्याय तथा अन्य सभी प्रकार के शोषणों से सुरक्षा प्रदान करना;
 - (ग) महिलाओं तथा बच्चों का कल्याण।
- (ङ) धारा 51(5):- शिक्षा समिति प्राथमिक, माध्यमिक, जनशिक्षा सहित शिक्षा, पुस्तकालयों एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों संबंधी कार्य करेगी।

III. जिला परिषद् के कार्य:-

- (क) धारा 73(17):- शिक्षा:-
- (i) शैक्षणिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन जिसके अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना और अनुरक्षण भी शामिल है;
 - (ii) जनशिक्षा और पुस्तकालय सुविधाओं के लिए कार्यक्रमों का आयोजन;

- (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के प्रचार-प्रसार के विस्तार कार्य;
- (iv) शैक्षणिक कार्यकलापों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन।
- (v) सामान्य छात्रावासों, आश्रमों, विद्यालयों एवं अनाथालयों की स्थापना और अनुरक्षण।

(ख) धारा 73(18):— सामाजिक कल्याण एवं कमजोर वर्गों का कल्याण:—

- (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियाँ, वृत्तिका, छात्रावास अनुदान एवं पुस्तक और अन्य अनुषांगिक सामग्रियों की खरीद हेतु, अन्य अनुदान देकर शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार;
- (ii) निरक्षरता उन्मूलन एवं सामान्य शिक्षा देने हेतु नर्सरी विद्यालयों बालवाड़ियों, रात्रि पाठशालाओं में एवं पुस्तकालयों का संगठन;

(ग) धारा 77(1) स्थायी समितियाँ:—जिला परिषद् अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निर्वाचन द्वारा निम्नलिखित समितियाँ गठित करेगी:—

- (i) सामान्य स्थायी समिति।
- (ii) वित्त, अंकेक्षण तथा योजना समिति।
- (iii) उत्पादन समिति।
- (iv) सामाजिक न्याय समिति।
- (v) शिक्षा समिति।
- (vi) लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति।
- (vii) लोक कार्य समिति।

(घ) धारा 78(4):— सामाजिक न्याय समिति निम्नलिखित से संबद्ध कृत्यों का निष्पादन करेगी:—

- (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य हितों का प्रोत्साहन;
- (ख) ऐसी जातियों एवं वर्गों को सामाजिक अन्याय तथा अन्य सभी प्रकार के शोषणों से सुरक्षा प्रदान करना; और
- (ग) महिला एवं बच्चों का कल्याण

(ङ) धारा 78(5):— शिक्षा समिति, प्राथमिक, माध्यमिक, जन एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों सहित शिक्षा से संबंधित कृत्यों का निष्पादन करेगी।

4. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्ति, छात्रावास योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना एवं मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा

वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना एवं खाद्यान्न आपूर्ति योजना आदि योजनाएँ संचालित हैं।

उपरोक्त के संबंध में कल्याण विभाग का परिपत्र ज्ञापांक-3721 दिनांक-24.09.2001, शिक्षा विभाग का पत्रांक-782 दिनांक-18.12.2012, कल्याण विभाग का पत्रांक-5480 दिनांक-10.10.1998, पत्रांक-4522 दिनांक-11.08.1996, विभागीय पत्रांक-586 दिनांक-09.03.2009, कल्याण विभागीय पत्रांक-5168 दिनांक-25.08.2006, विभागीय पत्रांक-979 दिनांक-23.02.2000, पत्रांक-1573, दिनांक-01.09.2014, पत्रांक-1926, दिनांक-17.10.2014, पत्रांक-2085, दिनांक-01.08.2016, कल्याण विभाग को पत्रांक-5064, दिनांक-21.08.2006, विभागीय पत्रांक-2328, दिनांक-30.08.2016, पत्रांक-2565, दिनांक-27.12.2017, पत्रांक-1063, दिनांक-17.05.2018, पत्रांक-1064, दिनांक-17.05.2018, पत्रांक-1558, दिनांक-19.07.2018, पत्रांक-1565, दिनांक-20.07.2018, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग का पत्रांक-1143, दिनांक-10.05.2018, पत्रांक-321, दिनांक-05.02.2019 (प्रति संलग्न) आदि समय-समय पर निर्गत हैं।

5. तदनुसार विभागीय स्तर पर सम्यक् विचारोपरांत सभी पूर्वादेशों के संदर्भित अंश को अवक्रमित करते हुए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन, प्रबंधन एवं अनुश्रवण में जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधायन निम्नवत् शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हुए किया जाता है:-

1. छात्रवृत्ति योजना

विवरण	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद्
नीतिगत कार्य/ कार्यक्रम जो सौंपे गये हैं।	वर्ग 1 से 6 तक अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/ छात्राओं को निर्धारित दर पर वितरित की गई छात्रवृत्ति का अनुश्रवण एवं सामान्य पर्यवेक्षण। ग्राम पंचायत द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।	वर्ग 7 से 10 तक अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/ छात्राओं को निर्धारित दर पर वितरित की गई छात्रवृत्ति का अनुश्रवण एवं सामान्य पर्यवेक्षण। पंचायत समिति द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।	ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के स्तर पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/ छात्राओं को निर्धारित दर पर वितरित की गई छात्रवृत्ति का सामान्य पर्यवेक्षण। जिला परिषद् द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।

2. आवासीय विद्यालय

विवरण	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद्
नीतिगत कार्य/ कार्यक्रम जो सौंपे गये हैं।	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के शैक्षणिक	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के शैक्षणिक	अपने अधिकार क्षेत्र अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के शैक्षणिक

	विकास हेतु विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में नामांकन के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना एवं आवासीय विद्यालय में प्रदान की जा रही सुविधाओं से संबंधित प्रचार-प्रसार करना। शिक्षा से वंचित पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के बालिकाओं के अभिभावक से सम्पर्क स्थापित कर शिक्षा की अनिवार्यता से उन्हें अवगत कराना। ग्राम पंचायत द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।	विकास हेतु विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में नामांकन के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना एवं आवासीय विद्यालय में प्रदान की जा रही सुविधाओं से संबंधित प्रचार-प्रसार करना। शिक्षा से वंचित पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के बालिकाओं के अभिभावक से सम्पर्क स्थापित कर शिक्षा की अनिवार्यता से उन्हें अवगत कराना। पंचायत समिति द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।	विकास हेतु विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में नामांकन के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना एवं आवासीय विद्यालय में प्रदान की जा रही सुविधाओं से संबंधित प्रचार-प्रसार करना। शिक्षा से वंचित पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के बालिकाओं के अभिभावक से सम्पर्क स्थापित कर शिक्षा की अनिवार्यता से उन्हें अवगत कराना। आवासीय विद्यालय निर्माण योजना हेतु सरकार द्वारा विहित मार्गदर्शिका के आलोक में नये आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु अथवा विद्यालय के उत्क्रमित होने की स्थिति में स्थल चयन का प्रस्ताव उपलब्ध कराना। जिला परिषद् द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।
--	---	---	--

3. छात्रावास

विवरण	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद्
नीतिगत कार्य/ कार्यक्रम जो सौंपे गये हैं।	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को सुविधायुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न वर्गों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में छात्रावासों में नामांकन	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को सुविधायुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न वर्गों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में छात्रावासों में नामांकन	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित छात्रावास में नामांकन के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना एवं छात्रावास से वंचित पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रावास में नामांकन हेतु निर्धारित प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित

हेतु जागरूकता उत्पन्न करना तथा संचालित छात्रावासों का प्रचार-प्रसार करना। ग्राम पंचायत द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।	नामांकन हेतु जागरूकता उत्पन्न करना तथा संचालित छात्रावासों का प्रचार-प्रसार करना। पंचायत समिति द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।	करना। छात्रावास निर्माण योजना हेतु सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में अनुश्रवण, नए छात्रावास निर्माण अथवा छात्रावास के आसन में वृद्धि के आलोक में सामान्य पर्यवेक्षण। जिला परिषद् द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।
---	---	--

4. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना

विवरण	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद्
नीतिगत कार्य/ कार्यक्रम जो सौंपे गये हैं।	इस योजना के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को दिए जा रहे छात्रावास अनुदान का अनुश्रवण करना। ग्राम पंचायत द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।	इस योजना के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को दिए जा रहे छात्रावास अनुदान का अनुश्रवण करना। पंचायत समिति द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।	इस योजना के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को दिए जा रहे छात्रावास अनुदान का सामान्य पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना। जिला परिषद् द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।

5. खाद्यान्न आपूर्ति योजना

विवरण	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद्
नीतिगत कार्य/ कार्यक्रम जो सौंपे गये हैं।	विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में स्वीकृत बल के विरुद्ध आवासित छात्र/छात्राओं को आपूर्ति किए जा रहे खाद्यान्न से संबंधित अनुश्रवण करना।	विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में स्वीकृत बल के विरुद्ध आवासित छात्र/छात्राओं को आपूर्ति किए जा रहे खाद्यान्न से संबंधित अनुश्रवण करना। पंचायत समिति द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति	विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में स्वीकृत बल के विरुद्ध आवासित छात्र/छात्राओं को आपूर्ति किये जा रहे खाद्यान्न से संबंधित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण। जिला परिषद् द्वारा यह

ग्राम पंचायत द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।	के माध्यम से कराया जाएगा।	कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।
--	---------------------------	---

6. मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

विवरण	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद्
नीतिगत कार्य/ कार्यक्रम जो सौंपे गये हैं।	अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे मेधावी छात्र/ छात्राओं को अग्रेत्तर तैयारी हेतु आर्थिक सहयोग देने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को योजना का लाभ देने हेतु प्रचार-प्रसार करना। ग्राम पंचायत द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।	अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे मेधावी छात्र/ छात्राओं को अग्रेत्तर तैयारी हेतु आर्थिक सहयोग देने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को योजना का लाभ देने हेतु प्रचार-प्रसार करना। पंचायत समिति द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।	अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे मेधावी छात्र/ छात्राओं को अग्रेत्तर तैयारी हेतु आर्थिक सहयोग देने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को योजना का लाभ देने हेतु प्रचार-प्रसार करना। जिला परिषद् द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।

7. पर्यवेक्षकीय अधिकार

विवरण	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद्
नीतिगत कार्य/ कार्यक्रम जो सौंपे गये हैं।	ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित विभागीय योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन समर्पित	पंचायत स्तर पर संचालित विभागीय योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन समर्पित	संचालित विभागीय योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन समर्पित करना। जिला परिषद् द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के

करना। ग्राम पंचायत द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।	करना। पंचायत समिति द्वारा यह कार्य सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से कराया जाएगा।	माध्यम से कराया जाएगा तथा जिला परिषद संबंधित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग को प्रतिमाह प्रेषित करेगी।
---	---	--

8. अन्यान्य

विवरण	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद
सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर आयोजन, बाल अधिकार का संरक्षण।	ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद अपने-अपने स्तर से संबंधित विभाग के पर्यवेक्षक/पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर सभी विभागीय विद्यालय/छात्रावासों/टोलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता, स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा समाज के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदाय के बच्चों के बाल संरक्षण अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बरतेगी एवं उनके हितों का संरक्षण करेगी।	ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद अपने-अपने स्तर से संबंधित विभाग के पर्यवेक्षक/पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर सभी विभागीय विद्यालय/छात्रावासों/टोलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता, स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा समाज के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदाय के बच्चों के बाल संरक्षण अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बरतेगी एवं उनके हितों का संरक्षण करेगी।	ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद अपने-अपने स्तर से संबंधित विभाग के पर्यवेक्षक/पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर सभी विभागीय विद्यालय/छात्रावासों/टोलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता, स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा समाज के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदाय के बच्चों के बाल संरक्षण अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बरतेगी एवं उनके हितों का संरक्षण करेगी।

6. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर पर शिकायत-सह-सुझाव पेटियाँ संचालित की जाएगी। प्राप्त शिकायत एवं सुझावों का निराकरण मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद प्रत्येक माह करेंगे। आवश्यकतानुसार विभाग को अवगत कराते हुए अग्रतर दिशा-निर्देश प्राप्त करेंगे।

7. उपरोक्त व्यवस्था जिला परिषद्/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत क्षेत्र में अर्थात् शहरी क्षेत्रों को छोड़कर ही लागू होगी।

8. जिला स्तर पर उपरोक्त के कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण के क्रम में संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी अपने स्तर से मासिक समीक्षा करते हुए उप विकास आयुक्त के साथ संयुक्त प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

9. सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस परिपत्र की यथेष्ट प्रतियाँ त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने स्तर से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन,

(प्रेम सिंह मीणा)

सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0/विविध-25-36/2019- 29/5 पटना, दिनांक— 30/12/19

प्रतिलिपि—(i) मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(ii) प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(iii) सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(iv) माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।

सचिव।